

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग


क्रमांक प.1(11)गृह-12/कारा/2014

जयपुर, दिनांक 26 FEB 2015

आज्ञा


इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 16.1.2015 के अधिकमण में श्री चेतनराम देवड़ा (RAS), संयुक्त शासन सचिव, गृह(अपील)विभाग द्वारा अपने पद के साथ-साथ श्री जे.के.शर्मा, विशेषाधिकारी, गृह(ग्रुप-12/जेल) विभाग के दिनांक 30.5.2014 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त होने से विशेषाधिकारी, गृह(ग्रुप-12/जेल) विभाग के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य दिनांक 01.06.2014 से आदिनांक तक लगातार संपादित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 35 व 50 के अंतर्गत श्री चेतनराम देवड़ा (RAS), संयुक्त शासन सचिव, गृह(अपील) विभाग को दिनांक 01.06.2014 से (उनके द्वारा उपभोग की गई उपार्जित अवकाश अवधि दिनांक 29.9.14 से 1.10.14 कुल तीन दिवस) को कम करते हुए 05 माह 27 दिन की अवधि हेतु (अधिकतम 6 माह की अवधि के शर्त के अध्याधीन) अतिरिक्त कार्य करने पर इनके मूल वेतन का 03 प्रतिशत अतिरिक्त कार्यभत्ता दिये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,


(अशोक कुमार मित्तल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर मय अतिरिक्त प्रति
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-4)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. श्री चेतनराम देवड़ा (आरएएस), संयुक्त शासन सचिव, गृह(अपील)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव